1

III/निग0/रीवा/2017/2867

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक............../17

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

यज्ञनारायण उर्फ छोटेलाल चौरसिया तनय सुदर्शन चौरसिया निवासी ग्राम रामपुर तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0 ---निगरानीकर्ता

बनाम

अंकित सोंधिया तनय संतोष सोंधिया निवासी ग्राम रामपुर तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0 ---गैर निगरानीकर्ता

निगरानी बिरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 05.08.2017 जो न्यायालय नायब तहसीलदार रामपुर तहसील नईगढ़ी जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ-5/2016-17 मे पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील नईगढ़ी द्वारा पारित आदेश विधि प्रकिया एवं प्रकरण मे आए तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश म0प्र0 भू राजस्व संहिता के तहत बनाए गए नियमों एवं प्रावधानों एवं धारा 107(5) के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

यज्ञनारायण चौरसिया

(123)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 2867 जिला–रीवा

यज्ञनारायण उर्फ छोटेलाल चौरसिया / अंकित सोंधिया

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त रामपुर, तहसील नईगढ़ी के प्रकरण क्रमांक 07 / अ–5 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	